



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 18.07.2022

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा भिण्ड मध्यप्रदेश से गुमशुदा 14 वर्षीय एक बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना लहार जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश से गुमशुदा 14 वर्षीय एक बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकड़ा ।
2. का0 734 ओमेन्द्र धामा थाना खेकड़ा ।
3. का0 373 बबलू कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक

18.07.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 182/22 धारा 392/332/353/
336/504/506/427 भादवि में वांछित 01 मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13/7/2022 को वादी श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल सिंह निवासी तहसील बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि वह अपनी टीम के साथ कुलदीप कुमार उर्फ भूरा के भट्टा की जांच करने उसके भट्टे पर गये थे तभी अभियुक्त कुलदीप कुमार उर्फ भूरा पुत्र देवी सिंह निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत एवं 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा



उनकी टीम के साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट से पथराव किया गया तथा वीरेन्द्र का एक मोबाइल फोन सैमसंग व एक चैन लूट ली । अभियुक्तों द्वारा कार्यसरकार में बाधा डाली गयी तथा गाड़ी न0 UP 17 N 0326 को छतिग्रस्त किया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 182/22 धारा 395/332/353/336/504/506/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 395 भादवि का विलोप कर धारा 392 की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 182/22 धारा 392/332/353/336/504/506/427 भादवि में वांछित 01 मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- कुलदीप कुमार उर्फ भूरा पुत्र देवी सिंह निवासी करबा दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक अपराध श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना दोघट।
- 2- का0 119 अशोक कुमार थाना दोघट।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनाँक 18-07-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 649/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 17-07-2022 को थाना बडौत पर वादिया ने सूचना दी कि सचिन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 649/21 धारा 452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 649/21 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सचिन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना बडौत ।
- 2- है0का0 335 अनिल मिश्रा थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 18-07-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- योगेश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

हाल पता इन्द्रा कालोनी निकट तहसील गेट करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना बडौत ।

2- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना बडौत ।

3- हो0गा0 224 पुष्पेन्द्र थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 18.07.2022

थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम पता -

1-अंकुर पुत्र सुरजमल निवासी पट्टी धनकोशिया कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना छपरौली ।

2-का0 908 योगेश थाना छपरौली ।





प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 18.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-वसीम पुत्र सत्तार निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार ।
- 2-है0का0 292 सिराज खान ।
- 3-का0 774 धर्मेन्द्र सिंह ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक- 18-07-2022

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- पिंटु उर्फ तेजवीर पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना रमाला।

2-का0 504 अशोक कुमार थाना रमाला।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 18-07-2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.07.2022 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- कल्लू उर्फ शौकीन पुत्र मेहरदीन निवासी नई बस्ती मुगलपुरा थाना व जनपद बागपत ।
हाल पता ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2- विनीत उर्फ लोहा पुत्र दलबीर निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना चांदीनगर ।
- 2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर ।
3. का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 18.07.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/22 धारा 354/354डी/506 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 151/22 धारा 354/354डी/506 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त को



गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-चांद पुत्र बाबू निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री मुनेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर ।

2- है0का0 107 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर ।